प्राधिकरण खुद बदल सकेंगे भू उपयोग

मंजूरी

- छह हजार वर्ग मीटर तक भू उपयोग प्राधिकरण स्वयं बदल सकेंगे
- इससे बड़ी भूमि का उपयोग शासन द्वारा बदला जाएगा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने यूपी में विकास की गति तेज करने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए विकास प्राधिकरणों को 6000 वर्ग मीटर तक भू-उपयोग बदलने की सुविधा दे दी है। इससे बड़ी भूमि का भू-उपयोग शासन द्वारा बदला जाएगा। इसके साथ ही कृषि से आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, कार्यालय और उद्योगों के लिए भू-उपयोग बदलने के लिए राशि काफी कम कर दी गई है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

कैबिनेट की बैठक में इसके लिए नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 के तृतीय संशोधन 2026 को मंजूर दी गई। इसमें भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरों में भारी कमी की गई है। कृषि से आवासीय कराने पर अब 50% सर्किल रेट के स्थान पर 25% शुल्क देना होगा। कृषि से उद्योग के लिए 20% से 15%, कृषि से व्यावसायिक पर डेढ़ गुना से 75%, कृषि से कार्यालय 100% से 50% और आवासीय से व्यावसायिक 100% से 50% शुल्क किया गया है। यह दर सर्किल रेट के हिसाब से लिया जाएगा।

उप्र नगर नियोजन अधिनियम 1973 की धारा 38-क महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में किसी भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में भू उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाने की व्यवस्था है। अधिनियम में दी व्यवस्था के अनुसार 11 दिसंबर 2014 को नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 जारी की गई। इसमें पहला संशोधन 16 दिसंबर 2016 को किया गया और दूसर संशोधन 10 नवंबर 2020 को किया गया।